

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

~~श्रीमती अलोले देवी~~ वनाम श्रीमती अलोले देवी कौर
आशा

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111-12-8 नं. 39 सन 2023

नांक	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील न जारी हुए
------	----------------------------------	--

2-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14.3.23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
------	---	--

14/3/23	<p>पत्रावली पेश की जाकर अतिरिक्त पत्रावली द्वारा न्यायिक कार्य को जारी रखने हेतु दिनांक 28/3 को पेश हो।</p>	
---------	---	--

28/3	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थनापत्र उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाह पत्र किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तवा कर, कर, कर आवाजे दिलायी जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं, इनके विकल्प एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थनापत्र का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शाह पत्र किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर अम्बर से कम हो।</p>	
------	---	--

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला जवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 39/23 प्रा०पत्र

1- आशा D/O श्री सोहनलाल बेगार गिवासी-मेलियारा तहसील माण्डल (वर्ग)

-प्रार्थी

वनाम

1- श्रीमती आशील देवी W/O श्री सांगीलाल बलई गिवासी-मेलियारा तहसील माण्डल (वर्ग)
(पृष्ठ संख्या 39/23 प्रा०पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....मेलियारा.....पटवार हल्का.....बावडी.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं०201.....कुल किता.....01.....रकबा.....0.63.23 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10-02-23 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....मेलियारा.....पटवार हल्का.....बावडी.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....201.....कुल किता.....01.....रकबा.....0.63.23 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....मेजा.....को.....500/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा